



**icmr** | **NIOH**  
INDIAN COUNCIL OF  
MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF  
OCCUPATIONAL HEALTH

आई सी एम आर – राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार  
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health  
Department of Health Research, Ministry of Health  
and Family Welfare, Government of India

No. I/Admin/परिपत्र /2024-25/ 2026

Dated: 04.12.2024

## परिपत्र/CIRCULAR

विषय: उचित माध्यम से आवेदन/अनुरोध/शिकायत प्रस्तुत करने के संबंध में।

यह देखने में आया है कि बहुत से कर्मचारी बिना उचित रूप से अग्रेषित किए आवेदन/अनुरोध/शिकायत प्रस्तुत करते हैं तथा उन्हें प्रसंस्करण के लिए प्रशासनिक प्रभाग को प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं। सभी संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि सभी आवेदन, अनुरोध या शिकायतें उचित माध्यम अर्थात् रिपोर्टिंग अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह निर्देश केंद्र सरकार के स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुरूप है।

### उद्देश्य:

- दक्षता: अनुरोधों और शिकायतों का समय पर और कुशल प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।
- जवाबदेही: आदेश और जवाबदेही की एक स्पष्ट श्रृंखला बनाए रखता है।
- पारदर्शिता: मुद्दों से निपटने में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।
- स्वीकार किया गया: रिपोर्टिंग कार्यालय को उनके अधीनस्थ/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में इस तरह के प्रस्तुतीकरण की जानकारी हेतु।

### प्रक्रिया:


- आवेदन/अनुरोध/शिकायत तैयार करें: मुद्दे को स्पष्ट रूप से बताएं, प्रासंगिक विवरण प्रदान करें, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसका समर्थन करें।
- उचित माध्यम से प्रस्तुत करें: आवश्यकतानुसार आवेदन/अनुरोध/शिकायत को तत्काल रिपोर्टिंग अधिकारी को अग्रेषित करें। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो पदानुक्रम के आधार पर उपयुक्त रिपोर्टिंग/संलग्न अधिकारी से मामले को अग्रेषित करने के लिए संपर्क किया जाए।

### गैर-अनुपालन:

इस निर्देश का अनुपालन न करने पर ऐसे आवेदनों/अनुरोधों/शिकायतों के प्रसंस्करण को अस्वीकार किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन करें और कार्यालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होता है।

  
( राहुल वाधवानी )  
प्रशासनिक अधिकारी

### प्रति/सेवा में:

सभी स्थायी/परियोजना कर्मचारी नोटिस बोर्ड के माध्यम से

सीसी:

डॉ. एल. के. शर्मा, विज्ञान "ई" और आईटी प्रमुख: वेबसाइट पर ऑनलाइन परिपत्र अपडेट करने के अनुरोध के साथ



**icmr** | **NIOH**  
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH | NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH

आई सी एम आर – राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार  
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Occupational Health  
Department of Health Research, Ministry of Health  
and Family Welfare, Government of India

No.1/Admin/परिपत्र /2024-25/2026

Dated: 04.12.2024

**परिपत्र/CIRCULAR**

Subject: Submission of Applications/Requests/Complaints through Proper Channel reg.

It has come to notice that many staff submits application/request/complaint without properly forwarded and ask for receiving the same to Admin. Division for processing. It is hereby notified to all concerned that all applications, requests, or complaints should be submitted through the proper channel i.e. through the reporting officer. This directive is in line with the established norms and procedures of the Central Government.

**Purpose:**

- **Efficiency:** Ensures timely and efficient processing of requests and complaints.
- **Accountability:** Maintains a clear chain of command and accountability.
- **Transparency:** Promotes transparency and fairness in the handling of issues.
- **Acknowledged:** Reporting office has information of such submission to office by their subordinate/staff.

**Procedure:**


- **Prepare the Application/Request/Complaint:** Clearly state the issue, provide relevant details, and support it with necessary documents.
- **Submit through Proper Channel:** Forward the application/request/complaint to the immediate reporting officer, as required. The appropriate reporting/attached officer based on the hierarchy shall be approached for forwarding of the matter, if reporting officer is not available.

**Non-Compliance:**

Non-compliance with this directive may result in rejection in processing of such applications/requests /complaints and may also attract disciplinary action.

All officers/staff are requested to strictly adhere to this directive and ensure smooth functioning of the office.

This has approval of the competent authority and takes immediate effect.

  
(Rahul Wadhvani)  
Admin. Officer

प्रति/To:

All permanent staff through notice board

CC:

Dr. L. K. Sharma, Sci "E" and Head of IT: with request for online circular update on website.